तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.1.19	पत्रावली पेश हुई। मूल नामान्तकरण तलब किया जाना आवश्यक नही है। बहस अपील वकील अपीलान्ट सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील इस प्रकार प्रस्तुत की है कि नामा० सं 1226 दिनांक 5/10/17 ग्राम बरोडा पटवार हल्का रामपुर तह० करौली मे अपीलान्ट का नाम पटवारी हल्का द्वारा बच्चू के स्थान पर लच्छू गलत तौर पर बिना किसी आधार के दर्ज किया है। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम बच्चू है गिरदावर हल्का व ग्राम पंचायत रामपुर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई जांच नही की गई है। और अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा नही दिया गया है निर्णय विधिविरुद्ध है और निरस्त किया जावे। बहस वकील अपीलान्ट का मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नामा० सं. 1226 दि० 5/10/17 एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा अपीलान्ट के आधार कार्ड परिचय पत्र की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमे अपीलान्ट का नाम बच्चू पुत्र न्यिमत दर्ज है। नामान्तकरण दि० 5.10.17 मे अपीलान्ट का नाम बच्चू के स्थान पर लच्छू बिना किसी आधार के दर्ज किया है जो संशोधित किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण नं. 1226 दि० 5.10.17 ग्राम बरोडा पटवार हल्का रामपुर तह० करौली मे अपीलान्ट का नाम लच्छू के स्थान पर बच्चू संशोधित	

सं 1226 दिनांक 5/10/17 ग्राम बराकेड़ा पटवार हल्का रामपुर तह० करौली मे अपीलान्ट का नाम पटवारी हल्का द्वारा बच्चू के स्थान पर लच्छू गलत तौर पर बिना किसी आधार के दर्ज किया है। जबकि अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम बच्चू है गिरदावर हल्का व ग्राम पंचायत रामपुर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी कोई जांच नही की गई है। और अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रामपुर द्वारा नही दिया गया है निर्णय विधिविरुद्ध है और निरस्त किया जावे।

बहस अपील अपीलान्ट का मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नामा० सं. 1226 दि० 5/10/17 एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा अपीलान्ट के आधार कार्ड परिचय पत्र की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमे अपीलान्ट का नाम बच्चू पुत्र चिम्मन दर्ज है। नामान्तरकरण दि० 5.10.17 मे अपीलान्ट का नाम बच्चू के स्थान पर लच्छू बिना किसी आधार के दर्ज किया है जो संशोधित किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तरकरण नं. 1226 दि० 5.10.17 ग्राम बराकेड़ा पटवार हल्का रामपुर तह० करौली मे अपीलान्ट का नाम लच्छू के स्थान पर बच्चू संशोधित कर नामान्तकरण मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे अमल करने के तहसीलदार करौली को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार करौली इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का नाम बच्चू अमल करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 5

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

जारी
543
14.3.19